21

मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1994

THE MADHYA PRADESH SAMPATTI VIRUPAN NIVARAN ADHINIYAM, 1994

[1995 का म०प्र० अधिनियम संख्यांक 20][1]

धाराओं का क्रम

1. संक्षिप्त नाम तथा विस्तार.....293
2. परिभाषाएँ.....293
3. संपत्ति के विरूपण के लिए शास्ति.....293
4. अपराध का संज्ञेय होना.....293
5. लिखावट आदि को मिटाने की राज्य सरकार की शक्ति.....294
6. अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना.....294

संपत्ति के विरूपण के निवारण के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में मध्य प्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम तथा विस्तार—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1994 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्य प्रदेश पर है।

2. परिभाषाएँ—इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "विरूपण" के अन्तर्गत आता है रूप या सौन्दर्य का ह्रास करना या उसके साथ हस्तक्षेप करना, उसे नुकसान पहुँचाना, विदूषित करना, खराब करना, या अन्य किसी भी प्रकार से, चाहे वह जिस प्रकार हो;

(ख) "संपत्ति" के अन्तर्गत आता है कोई भवन, झोपड़ी, संरचना, दीवार, वृक्ष, बाड़ खंभा (पोस्ट), स्तम्भ (पोल) या कोई अन्य परिनिर्माण;

(ग) "लिखावट" के अन्तर्गत आता है स्टेंसिल द्वारा की गई सजावट, अक्षरों की लिखाई या अलंकरण आदि।

3. संपत्ति के विरूपण के लिए शास्ति—कोई भी जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

4. अपराध का संज्ञेय होना—इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।

---

1. दिनांक 22 मई, 1995 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनाँक 27 मई, 1995 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।

5. लिखावट आदि को मिटाने की राज्य सरकार की शक्ति—धारा 3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार इस बात के लिए सक्षम होगी कि वह ऐसे उपाय करे जो कि किसी लिखावट को मिटाने, किसी विरूपण से मुक्त कराने या किसी चिन्ह को हटाने के लिए आवश्यक हैं और उस पर उपगत हुए व्यय ऐसी लिखावट करने, विरूपण करने या चिन्ह बनाने के लिए दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होंगे।

6. अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना—इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।